राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक प.3 (17)राज6/2021/89 जयपुर, दिनांक- 30.9.2021

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15, वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 260 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आबादी विकास हेतु भूमि आरक्षित किये जाने की जिला कलक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का राज्य के समस्त जिलो में कार्यरत उपखण्ड अधिकारियो एव राज्य के समस्त जिलो में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों जिनको 'प्रशासन गांव के संग अभियान-2021' के लिये शिविर प्रभारी नियुक्त किया गया है, द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जायेगा।

यह अधिसूचना 'प्रशासन गांव के संग अभियान-2021' की अवधि दिनांक 02.10.2021 से 17.12.2021 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

30/09/2021
(रामचरन शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशेषाधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
7. आयुक्त, भू-प्रबंध एवं जागीर, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 30/9/2021 में प्रकाशन हेतु।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

30/09/2021
शासन उप सचिव